दिनांक 12.10.2020 के 5.00 बजे अपराह्न में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय कोषांग के उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – यथा पंजी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपस्थित सभी उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल का स्वागत करते हुए समीक्षात्मक बैठक प्रारम्भ की गई। प्रथमतः स्थैतिक निगरानी दल की अब तक हुए कार्यो की दलवार समीक्षा की गई। अभी तक कुछ भी नकद, अवैध हथियार या शराब जब्त नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। इसके बाद FST की समीक्षा दलवार की गयी। इनकी भी आज तक की उपलब्धि शून्य पायी गयी। इस पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। अब तक SST एवं FST दोनों दल की उपलब्धि शून्य होने के कारण बेहतर ढ़ंग से तालमेल स्थापित कर कार्य करने के साथ–साथ निम्नांकित निदेश दिये गये।

SST टीम को दिये गये निदेश–

1. प्रतिदिन प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक दल 4–4 घंटे की दो पाली में जाँच कार्य का संपादन करेंगे।
2. जाँच स्थल की सूचना स्थैतिक निगरानी दल को एक दिन पूर्व में दिया जाएगा।
3. स्थैतिक निगरानी टीम जाँच की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराएंगे।
4. S.S.T. टीम द्वारा जाँच के दौरान यदि पचास हजार रूपये से अधिक के साथ यदि अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता, चुनाव संबंधी सामग्री, शराब, हथियार आदि पाया जाता है तो विधिनुसार जब्ती की प्रक्रिया करेंगे।
5. S.S.T. टीम द्वारा जाँच के दौरान किसी वाहन या व्यक्ति के पास दस लाख से अधिक पाये जाने पर आयकर विभाग तथा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर को सूचित करेंगे।
6. S.S.T. टीम द्वारा जब्त किये गये सामग्री की पावति दी जायेगी एवं इसके विमुक्त की प्रक्रिया संबंधित व्यक्ति को बतायी जाएगी।
7. जब्त किये गये नकद को तय प्रक्रिया के अनुसार मुंगेर कोषागार में जमा किया जाएगा।
8. विहित प्रपत्र B-10 में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा।
9. आवश्यकता अनुसार स्थानीय थाना से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगें।

FST टीम को दिये गये निदेश–

1. F.S. टीम को अगर निर्वाचन अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा चुनाव संबंधी कार्यो में बड़ी मात्रा में पैसे के लेन–देन, अवैध हथियार, असामाजिक तत्वों, शराब, गोला–बारूद एवं भारी मात्रा में नकदी को लाने–ले जाने आदि की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।
2. SST एवं स्थानीय थाना से समन्वय स्थापित कर कार्य करेगें।
3. F.S. टीम जाँच की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराएंगे।

4. अगर किसी घर में किसी प्रकार के अवैध सामग्री यथा–चुनाव को प्रभावित करने हेतु धन संग्रह आदि का मामला ज्ञात होता है, तो FST या SST घर में प्रवेश नहीं करेंगे। वे संबंधित थाना, पुलिस अधीक्षक एवं आयकर विभाग को सूचित करेंगे तथा उनके आने तक उस घर की निगरानी करेंगे।

5. F.S. टीम महिलाओं के पर्स की तलाशी बगैर महिला पुलिस के नहीं करेंगे।

6. F.S. टीम प्रपत्र B-8 एवं प्रपत्र B-9 में दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजेंगे।

अंत में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

13/X/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 67 / निर्वाचन व्यय, मुंगेर दिनांक 14.10.2020 /

प्रतिलिपि :– सभी फ्लाईंग स्क्वैड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम, निर्वाचन व्यय कोषांग, मुंगेर / सभी सहायक व्यय प्रेक्षक / उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर / नोडल पदाधिकारी, सभी कोषांग / अपर समाहर्ता, मुंगेर / उप विकास आयुक्त, मुंगेर / पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/X/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।